संख्या-80/2016/85/22-2-2016-17(22)/2007

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी दुलारे पुत्र श्री बच्चू, निवासी जनपद-बहराइच की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दुलारे पुत्र श्री बच्चू, ग्राम-गोडियन-पुरवा, थाना-विशेश्वरगंज, जनपद-बहराइच का निवासी है। फ्री में मछली देने से मना करने पर नाराज होकर बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 01/02.06.1987 को रात्रि लगभग 03:00 बजे फरसे से मारकर रामफल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1989 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक 24.06.1989 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 24 वर्ष 10 माह 29 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 09 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का 01 सहअभियुक्त है। बन्दी द्वारा दिनांक 08-05-1996 को आदर्श कारागार, लखनऊ से पलायन करने तथा दिनांक 23-03-2003 को बंदियों से झगडा करने के सम्बन्ध में दो जेल दण्ड दिया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच ने भविष्य में पुन- अपराध की सम्भावना होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, 02 जेल दण्ड, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दुलारे पुत्र श्री बच्चू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी दुलारे (बन्दी संख्या-40321) पुत्र श्री बच्चू, निवासी जनपद-बहराइच की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-80/2016/85/(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।